कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन", सेक्टर 24, अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाषः (0771) 2513100 से 2513110
E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

सूचना दिनांक 02.07.2019

वर्ष 2018 सीजन के अग्रिम विक्रित लाट जिनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनके भुगतान के संबंध में विभिन्न बिड़ी लिव्हस मर्चेन्ट एसोसिएशन के आवेदन वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति की बैठक क्रमांक 235 दिनांक 01.07.2019 में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

- समस्त लंबित किश्तों की देय राशि की भुगतान की तिथि दिनांक 30.06.2019 को बढ़ाकर देय राशि के भुगतान की तिथि दिनांक 30.11.2019 तक की जावे। उक्त सुविधा बिना ब्याज माफ किये दी जावेगी अर्थात ब्याज निर्धारित किश्तों की तिथि से ही गणना की जावेगी।
- करार अवधि दिनांक 31.07.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2019 की जावे।
- 15 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि की बैंक गारण्टी / एफ.डी.आर की तिथि दिनांक 31.07.2019 से बढ़ाकर 28.02.2020 तक लिया जावे।
- लाटों का बीमा दिनांक 31.07.2019 से बढ़ाकर दिनांक 28.02.2020 तक लिया जावे।

जो क्रेता उपरोक्त सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस आशय का सहमति का शपथ पत्र 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से कराकर एवं शपथ पत्र के साथ बैंक ग्यारण्टी की अवधि बढ़ाकर उसकी सत्यापित प्रति एवं बीमा की अवधि बढ़ाकर उसकी सत्यापित प्रति प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर में एवं मूल प्रति जिला यूनियन कार्यालय को व्यक्तिगत रूप से, डाक अथवा ई-मेल से दिनांक 16.07.2019 तक प्रस्तुत करेंगे । शपथ पत्र प्रस्तुत न करने पर व बैंक ग्यारण्टी व बीमा अवधि वृद्धि कराये बिना प्रस्तुत शपथ पत्र स्वमेव अमान्य होगा व उन क्रेताओं के विरूद्ध क्रेता करारनामा के शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

स्पष्ट किया जाता है, कि विलंब के कारण ब्याज में कोई छूट नहीं दिया जावेगा तथा ब्याज निर्धारित देय तिथि से लिया जावेगा ।

कार्यकारी संचालक (व्यापार एवं विकास)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर